(घ) भुगतान में विलंब करने या अब तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 30-6-94 की स्थिति के अनुसार, 48,616 लंबित विज्ञापन बिलों के संबंध में 9,93,89,865.52 रु० की राशि देय थी । वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	बिल सं०	दावा की गई राशि
1991-92	5744	1,13,79,637.77
1992-93	5998	1,42,76,257.17
1993-94	29,529	6,07,57,369.27
1994-95	7345	1,29,76,601.31
(जून, 1994 तक जोड़	48616	9,93,89,865.52

(घ) मुख्यत: हस्तचालित प्रक्रिया के स्थान पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया अपनाये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1991 से बिलों के भुगतान में विलब हुआ । शुरू में, कम्प्यूटर में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां उत्पन्न होने और बाद में प्रणाली में एक बड़ी खराबी आ जाने के कारण अत्यधिक मात्रा में बिल जमा हो गये थे ।

Langhagewise number of news papers

2002. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the languagewise number of newspapers published in 1993; and

(b) what is the circulation of newspapers languagewise, during the said period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b) The details of newspapers, including their number language, circulation, etc. published in the country are compiled by RNI on the basis of the annual statements required to be submitted to him by the publishers under the PRB Act. These are published every year in the form of a report entitled "Press in India", which is required to be submitted to the Government by 30th September every year. The RNI is still in the process of compiling the information sought in the question for the year 1993.

भारतीय फिल्म उद्योग में संकट

2003. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय फिल्म उद्योग को संकट से उबारने और उसकी आगे प्रगति के लिये कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या राज्यों के सूचना मंत्रियों ने सरकार से वीडियो पार्लरों और केबल आपरेटरों पर मनोरंजन कर लगाने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) भारतीय फिल्म उद्योग पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं को संभव सीमा तक सुधारने का सरकार का हमेशा प्रयास रहता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये 24 जून, 1994 को नई दिल्ली में हुये सूचना और चलचित्रकी राज्य मंत्रियों के 21वें सम्मेलन में फिल्म उद्योग द्वारा सामना की गई कुछ प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था । सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:–

(i) सिनेमा पर मनोरंजन कर की दरों में कमी करना ;

(ii) सिनेमा थियेटरों पर मनोरंजन कर की संयोजित प्रणाली की शुरूआत;

(iii) वीडियो पार्लर्स तथा केबल टी.वी. नेटवर्क पर कर लगाना ;

(iv) फिल्म उद्योग को "उद्योग" का दर्जा प्रदान करना ।

ऊपर (i), (ii) तथा (iii) पर दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को करना है । जहां तक उपर्युक्त (iv) पर की गई सिफारिश का संबंध है, मामले को पहले ही उद्योग तथा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है ।

दूरदर्शन केन्द्र, इलाहाबाद के संस्थापन में विलंब

2004. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में दूरदर्शन केन्द्र के संस्थापन और उसे चालू होने में विलंब के क्या कारण हैं जबकि उसका उद्घाटन कराया जा चुका है ; और

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इलाहाबाद में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र की अभी आरम्भ नहीं किया गया है । इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधान मंत्री जी द्वारा जुलाई, 1990 में रखी गई थी । इलाहाबाद में 150 वर्ग मीटर आकार के एक टेलीविजन स्टूडियो केन्द्र की स्थापना संबंधी स्कीम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 14 सितम्बर, 1993 से सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया गया है । परियोजना तैयार करने में विलंब, तकनीकी पैरामीटरों को स्थापित किये जाने तथा संसाधनों की कमी के कारण हुआ । इतने बड़े आकार की परियोजना को पूरा करने में सामान्यतया अनुमोदन के बाद लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगता है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों को वित्तीय सहायता

2005. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रतिष्ठित कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिष्ठित कलाकारों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(ग) ऐसी सहायता दिये जाने के मानदण्ड क्या हैं ; और

(घ) उन प्रतिष्ठित कलाकारों के नाम क्या हैं जिन्हें यह सहायता नहीं दी जा रही है और उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) (क) : जी, हां । दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा प्रतिष्ठित